न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या—50 / 2024

1.जयप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. मांगीराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3. श्रवण पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता (XEN) सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर तहसील नोहर।

2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर तहसील नोहर

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः—19/03/2026

अपीलांट जयप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट, मांगीराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण आदेश सं. 663 स्वीकृति दिनांक 20.11.2009 रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त किये जाने हेतु अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार से है—

1. रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख.न. 444 की 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि गै. मु. आबादी भूमि थी तथा सघन आबादी भूमि में ग्राम वासियों पक्के मकान निर्मित थे तथा ख0नं0 435 में भी आबादी बसी हुई है तथा केन्द्र सरकार की अनुमती के बिना सड़क निर्मित करना संभव नहीं है। उनके पक्ष में पटटे जारी कर रखे थे तथा सैकड़ो वर्षो की रिहायश थी। रेस्पोडेन्टस ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में बिना की जाँच किये ग्राम पंचायत को बिना सुने ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. लिये बिना ही गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की भू[illegible] किये जाने से पूर्व आबादी का कोई सर्वे नही कराया गया मौके [illegible] सर्वे नही किया सघन आबादी जिसमें लोगो के निर्मित घर थे पर गै.[illegible] सड़क का अपीलाधी[illegible]न्तरण कतई गलत तौर से किया है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण आदेश से पूर्व किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस नही दिया यहा तक सरंपच ग्राम पंचायत गोरखाना को आबादी भूमि में गै.मु. सड़क दर्ज किये जाने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया तथा गै. मु. सड़क की भूमि का नामान्तरण दर्ज किया उस जगह सधन आबादी थी सामान्य नागरिको के पक्के मकान निर्मित थे उनके पक्ष में ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पटटे जारी थे। मातहत अदालत ने बिना नोटिस दिये साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही गैर कानुनी ढंग एंव नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

4. भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि स्ंदक Acguisition Act 1894 की धारा 4 व 5 ए व 6 के तहत राज्य सरकार को भू–अर्जन कलैक्टर की रिपोर्ट पर कोई विचार नही किया इसलिए अर्जन की अधिसूचना रद्द योग्य थी तथा धारा 4 व 6 के तहत आबादी में स्थित बसे नागरिको को कोई नोटिस नही दिया भूमि अर्जन की कोई सूचना नही थी अपीलान्ट व अन्य नागरिको के पट्टे बने हुए थे वैध स्वामी भूमि अर्जन से मुक्त करवाने का अधिकार रखता है इसके अतिरिक्त धारा 9 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अवाप्ति से पूर्व अपीलान्ट व पटटे धारियों को कोई नोटिस नही दिया तथा भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु नहीं था। पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता अधिनियम सन् 2013 की धारा 24 किसी भी पट्टे धारा निर्मित मकान के मालिक को उचित प्रतिकार नही दिया भूमि की रिपोर्ट तक नही देनी मौका नही देखा इसलिए उक्त आवाप्ति लोक प्रयोजन हेतु नही मानी जा सकती है इस परिस्थितियों अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानुनी ढंग से पारित है जो अपास्तनीय है।

5. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण करने से पूर्व कोई पैमाईश नही की तथा मकान आदि जो निर्मित भवन थे, उनकी कोई रिपोर्ट नही की तथा वाद स्थल का कोई मौका निरीक्षण नही किया तथा पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य व जवाब प्रस्तुति का कोई समुचित अवसर नही दिया अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाने की पटटे व मकान मालिको को कोई सूचना नही थी भूमि के पटटे सिविल कोर्ट से निरस्त कराये वगैर अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानूनी ढंग से दर्ज किया गया है, जो अपास्तनीय है।

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

6. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2009 आदेश स. 663 की पूर्व में अपीलान्ट व अन्य को कोई पता नही था। जब [illegible] दायरा बढा मानकर वहा से मकान हटाने हेतु दिनाक 20.11.2024 को [illegible] कहा यदि वाद स्थल से मकान नही हटाये तो व जे[illegible] मशीनो से तोड़ देंगे। जिस पर पटवारी हल्का से अपीलान्ट ने समस्त जानकारी जुटाई है तथा बिना किसी देरी किये अपीलाधीन नामान्तरण आदेश की नकल दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त की, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा अपीलाधीन नामान्तरण से पूर्व अपीलान्ट व अन्य पट्टे धारियो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई तथा पट्टो को कैन्सील कराये बगैर गै. मु. सड़क आबादी का निरीक्षण किये व मकानो के स्थान पर दर्ज गैर कानूनी ढंग से किया गया है। इसलिए प्रकरण मेरीटोरियस है, जिस पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है फिर भी कानूनी तौर से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अन्दर मियाद है।

7. अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र की है व अन्दर मियाद है तथा मुकरर्र न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश सं. 663 दिनांक 20.11.2009 रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर बअदालत श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या– 02 से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0नं0 444 की 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन आबादी भूमि थी तथा आबादी भूमि में ग्राम वासियों पक्के मकान निर्मित थे तथा ख0नं0 435 में भी आबादी बसी हुई है। उनके पक्ष में पटटे जारी कर रखे थे तथा सैकड़ो वर्षो की रिहायश थी। केन्द्र सरकार की अनुमती के बिना सड़क निर्मित करना संभव नहीं है। रेस्पोडेन्टस–2 ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में बिना की जाँच किये ग्राम पंचायत को बिना सुने नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 20.11.2009 तस्दीक किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. 2019 RBJ page No. 69
2. 2009(2)RRT page no. 1102
3. 2017(1) RRT page no. 1
4. 2017(2) RRT page No. 1293

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 20.11.2009 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पायतन एंव वन विभाग(मरूस्थल वनोरोपण एंव चारागाह विकास हेतु आरक्षित भूमि) को सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0 सड़क अरड़की से गोरखाना के नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या– 663 दिनांक 20.11.2009 को दर्ज करनें उक्त भूमि पर पट्टे शुदा भूखण्ड बसे हुए लोगों को सुनवाई का अवसर नहीं देकर त्रुटि कारित की है।

अतः न्यायालय के मत अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नामान्तरण संख्या 663 में दर्ज भूमि बसे लोगों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसर प्रकरण का निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक19/3/26को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:08 IST
Reason: SelfAttested